

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सचिवालय  
द्वितीय तल, विकास भवन, बेली रोड, पटना  
E-mail: [sipbbihar16@gmail.com](mailto:sipbbihar16@gmail.com), Website: [w.w.w.udyog.bihar.gov.in](http://w.w.w.udyog.bihar.gov.in)

सं० सं०-एनओआईडीपीडी1807000223.....  
संवा में,

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

**विषय-** मेसर्स राम जानकी एग्रो गोडाउन प्रा० लि०, औरंगाबाद द्वारा जिनोरिया, खैरादीप, दाउदनगर, औरंगाबाद में 1800 मे० टन प्रतिदिन क्षमता का आर०ए०बी०सी० के अंतर्गत फरल गोदान ईकाई की स्थापना हेतु प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल ₹० 22,12,365/- (मात्र बाईस लाख बारह हजार तीन सौ पैसठ रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश-** स्वीकृत।  
**महाशय-**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स राम जानकी एग्रो गोडाउन प्रा० लि०, औरंगाबाद द्वारा जिनोरिया, खैरादीप, दाउदनगर, औरंगाबाद में 1800 मे० टन प्रतिदिन क्षमता का आर०ए०बी०सी० के अंतर्गत फरल गोदान ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद की बैठक दिनांक 18.09.2018 की स्टेज-1 तथा दिनांक 30.11.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (i) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापक-SIPB1807000223/29, दिनांक 21/01/2019 के द्वारा श्री राजेश कुमार, सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद द्वारा ईकाइयों का स्थल निरीक्षण कराया गया। जांच दलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 05.09.2018 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को 08 सितम्बर, 2016 से 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल ₹० 22,12,365/- (मात्र बाईस लाख बारह हजार तीन सौ पैसठ रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में छुट्टि माए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्योपस्थापना किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत माए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि चंपस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय रहन "राज्यादेश सं०-2060, दिनांक-11.08.18 एवं आवंटनावेश सं०-5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-साक्षान्त, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, नौग सख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एव पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सभिनजी मद् में सालू वित्तीय वर्ष 2016-18 के बजट में उपबंधित राशि से विकल्पित होगा।

क्रमशः पृष्ठ-2

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
  6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
  7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-26 पर की जाएगी।
  8. इस राशि का भुगतान मेसर्स राम जानकी एग्री गोडाउन प्रा० लि० को उनके इलाहाबाद बैंक औरंगाबाद में खाता संख्या-50186982173, IFS Code-ALLA0211270 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।
- बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-  
(मंजु कुमार सिंह)  
उद्योग निदेशक  
-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,  
बिहार, पटना।

झापांक—एस०आई०पी०बी०१८०७०००२२३.....

दिनांक—

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक  
-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,  
बिहार, पटना।

झापांक—एस०आई०पी०बी०१८०७०००२२३.....

दिनांक—

प्रतिलिपि वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक  
-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,  
बिहार, पटना।

झापांक—एस०आई०पी०बी०१८०७०००२२३...../1290

दिनांक— 05.08.19

प्रतिलिपि— महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, औरंगाबाद को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / ✓ 07.0 टी० प्रबंधक उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स राम जानकी एग्री गोडाउन प्रा० लि०, औरंगाबाद को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक  
-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,  
बिहार, पटना।